देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ.....

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2020/bkr/01 E-Newsletter, Issued in Public Interest गुरुवार, 9 जनवरी 2020

चले थे राज्य में शराबबंदी करने!

नए नियम लागू करने से शराबखोरी/ओवररेट/अवैध-नकली शराब/रात 8 बजे बाद शराब की बिक्री के मामलों में बढ़ोतरी के साथ अवैध निर्माणों के मामले भी बढ़ेंगे|

गत वर्ष दिसम्बर माह में बिहार भेजी थी टीम,प्रदेश में शराबबंदी के दिए थे संकेत

प्रदेश की गहलोत सरकार द्वारा राज्य में भी शराब बंदी के संकेत देते हुए,आबकारी विभाग आबकारी विभाग के अतिरिक्त आयुक्त(निति) श्री छोगाराम देवासी के नेतृत्व में पांच सदस्यों की टीम बिहार भेजी थी|इस टीम को बिहार में शराबबंदी के बाद अपराधों में आई कमी,सरकार को राजस्व बंद होने से हो रहे नुकसान,सामाजिक प्रभाव और पर्यटन पर पड़ रहे विपरीत प्रभावों का अध्ययन करना था|गहलोत का मानना था कि गुजरात में सही तरीके से शराबबंदी नहीं हुई है जिससे वहां पर अवैध शराब का कारोबार फलफूल रहा है|गहलोत की सोच के अनुसार गुजरात की जगह बिहार में शराबबंदी सही तरीके से की गयी है|

क्या राजस्थान में भी होगी शराबबंदी?

बिहार में शराबबंदी के परिणामों की स्टडी करने जाएगी आबकारी विभाग की टीम

मोहर सिंह मीणा | सीकर

राजस्थान में जल्द शराब बंदी लागू हो सकती है। बिहार में शराब बंदी के बदले हालातों को जानने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पांच सदस्यों की कमेटी का गठन कर दिया है। यह टीम 11 से 16 दिसंबर तक शराब बंदी को ग्राउंड पर लागू करने के लिए बिहार जाएगी। वहां पर टीम यह देखेगी कि शराब बंदी कैसे लागू की जाए और इससे किस तरह फायदा होगा। कमेटी का मुखिया आबकारी विभाग के अतिरिक्त आयुक्त (नीति) आईएएस छोगा राम देवासी को बनाया गया है। यह बिहार में शराब बंदी के बाद अपराधों में हुई कमी, सरकार को रेवेन्यू बंद होने से नुकसान, लोगों के जीवन पर शराब बंदी के बाद प्रभाव और बिहार के पर्यटन पर पड़े प्रभाव की जानकारी जुटाएंगे। कमेटी बिहार पुलिस, आबकारी विभाग के अधिकारी व अन्य संस्थाओं से जानकारी जुटाकर रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके कमेटी इसी महीने सरकार को रिपोर्ट सौंप सकती है। छोगा राम देवासी आबकारी विभाग के अतिरिक्त आयुक्त नीति छोगाराम देवासी का कहना है कि बिहार में शराब बंदी के परिणामों पर स्टडी करने जा रहे हैं। हम वहां के संबंधित विभागों, पुलिस, स्थानीय लोगों से बात करेंगे। शराब बंदी के बाद अपराधों के आंकड़ों, रेवेन्यू कम होने से सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रभाव पर जानकारी जुटाएंगे। इसी तरह एडिशनल चीफ सेक्रेट्री, फाइनेंस निरंजन कुमार आर्य ने बताया कि टीम का गठन हुआ है।

गहलोत सरकार के दो फैसलों से बढ़ेगी शराब की खपत साथ ही बढ़ेंगे अवैध निर्माणों के मामले

सदस्यों ने माला पहना किया। डॉ. ईश गुंजाल वर्तमान में

राजस्थान हाईकोर्ट ने दिए आदेश

बिना एनओसी वाले रूफटॉप रेस्टोरेंट बंद करे सरकार

पिछले सप्ताह कुछ रूफटॉप रेस्टोरेंट्स को सीज किया गया। -फाइल

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने मॉल और बहुमंजिला इमारतों में फायर फाइटिंग सिस्टम की जांच करने और इनमें कमी मिलने पर सील करने के आदेश दिए थे। इस मामले में सोमवार को मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत माहान्ती की बेंच ने राज्य सरकार से 18 दिसंबर तक पालना रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। इसी दौरान कोर्ट ने महाधिवक्ता को मौखिक तौर पर बिना फायर एनओसी के चल रहे रूफटॉप रेस्टोरेंट्स को भी सील करने को कहा। एडवोकेट कुणाल रावत ने जनहित याचिका दायर की थी। जिस पर 3 जुलाई को जस्टिस मोहम्मद रफीक की बेंच ने 32 मीटर से ऊंची इमारतों की अनुमति देने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने अग्निशमन में खाली पदों को भरने और कोचिंग, रेस्टोरेंट्स, होटल सहित मॉल्स में बिना फायर एनओसी चल रहे संस्थानों पर कार्रवाई करने को कहा था। मामले पर सोमवार को सुनवाई हुई।

गए थे राहत की उम्मीद में

हाईकोर्ट में सोमवार को दो रेस्टोरेंट संचालकों ने निगम कार्रवाई के खिलाफ प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिसमें निगम की सील खुलवाने की गुहार की गई, लेकिन कोर्ट की मंशा को देखते हुए प्रार्थना पत्र वापस ले लिया। इसके बाद कोर्ट ने महाधिवक्ता को मामले को देखने और बिना एनओसी चल रहे रूफटॉप रेस्टोरेंट बंद करवाने को कहा।

पहला फैसला;शहर में चल रहे अवैध रूफ टॉप रेस्टोरेंटस को नियमित करने की गली निकाली,बिना फायर NOC के चलेंगे रूफ टॉप रेस्टोरेंट

राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य में चल रहे अवैध रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स को बंद करने के आदेश दिए|

एडवोकेट कुणाल रावत की जन हित याचिका 1481/2018 पर सुनवाई करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने भवनों की छतों पर किसी भी प्रकार के निर्माण को गैरकानूनी मानते हुए शहर की छतों पर चल रहे रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स को बंद करने के आदेश दिए थे|

कांग्रेसी विधायक के दबाव में सरकार ने निकाली गली

कोर्ट के इस फैसले से जहाँ एक और प्रशासन चाक चौबंद हो गया वही दूसरी और सभी रूफ टॉप संचालकों के बीच अफरा तफरी मच गयी|चूँकि इन रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स में कई बड़े अधिकारीयों और नेताओं का भी पैसा लगा हुआ है जिसके चलते शहर के एक कद्दावर विधायक ने मध्यस्ता करते हुए सरकार पर रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स के संचालन के लिए पालिसी बनाने का दबाव बनाया और पालिसी बनने तक किसी भी रूफ टॉप रेस्टोरेंट को सील नहीं करने के लिए राजी कर लिया|विधायक के दबाव में सरकार ने तीन महीने तक किसी भी रूफ टॉप रेस्टोरेंट को महज एक शपथ पत्र लेकर सील नहीं करने के आदेश जारी कर दिए|

अवैध निर्माणों/बिना अनुमति आवासीय भूखंडों में बने रेस्टोरेंटों/होटलों को भी जारी कर दी जायेगी फायर NOC

नगरीय निकायों द्वारा सील किये गए रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स को खुलवाने के लिए स्वायत शासन विभाग में विभाग के मंत्री श्री धारीवाल की अध्यक्षता में मीटिंग हुई जिसमे निकायों द्वारा सील किये गए रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स की सील खोलने,तीन महीने में फायर रोधी उपकरण लगाकर फायर NOC लेने और नगर नियोजन के अधिकारीयों को NBC की गाईडलाईन्स के अनुसार पालिसी बनाने के निर्देश दिए|

फायर NOC लेने के है कड़े मानदंड

सरकार की इस रस्साकस्सी से पहले फायर NOC लेने के कड़े मानदंड है,जिसके अंतर्गत व्यवसायिक भूखंड की फायर NOC के लिए भूमि का व्यवसायिक उपयोग हेतु भू उपयोग परिवर्तन,एवं सम्बंधित नगरीय निकाय से अनुमोदित मानचित्र होना आवश्यक है|फायर NOC की अनिवार्यता से जयपुर शहर के लगभग सभी रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स बंद होने के कगार पर है|सरकार की इस ढील से अब शहर के सभी अवैध रूफ टॉप रेस्टोरेंटस सीना चौड़ा कर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की खुलेआम अवहेलना कर रहे है|

THE TIMES OF INDIA, JAIPUR
SATURDAY, JANUARY 4, 2020

TIMES

Restaurants without commercial conversion can get liquor licence

'Will Stop Sale Of Illegal Wine, Boost Revenue'

Booze consumption in city up 25% in Dec over last year

Srikanta.Tripathy
@timesgroup.com

TIMES NEWS NETWORK

Jaipur: Forget the talk about alcohol prohibition in Rajasthan. Now, restaurants without having commercial conversion approval can now get a liquor licence. As per the government notification on January 1, restaurants will be given licence for six months with the payment of 75% of the existing licensing fee and the period can be extended by paying another 25% of the fees.

Restaurants are allowed to operate without the approval of the commercial conversion but till now, they were not eligible for bar licences.

According to industry, there are large number of such restaurants who are keen to have a licence, in the absence of which, some resort to selling liquor illegally.

The notification said that "restaurant bar licence may also be granted by the licensing authority to any restaurant-...The licence under this rule shall be granted in the form and on the conditions as may be determined by the state government."

A senior official of the finance department said, "We wanted to ensure that if a restaurant wants to sell liquor, let it do that in a transparent way without violating the rules. Restaurants operating without commercial conversion is covered in the amendment. While this will stop illegal sale of liquor in these restaurants, it will also add to the government's revenue kitty. It's a win-win proposition for both the government and the restaurants," said a senior official of the finance department.

But the decision has divided opinion in the industry. While the government retail shop owners said that the increased competition from the resto bars will erode their market share, others said that many restaurants have invested large sums of money, but without liquor licence, they lose clients.

"Jaipur is a tourist town. Over the past few years several restaurants have opened but without liquor licence, their business prospects don't look bright. This will certainly help the restaurant industry and also the government, which is overstretched financially," said Rajesh Dukia, a restaurant owner.

But the government-licenced retailers are not enthused. They said new licences will further stiffen the competition, shrinking their market share.

Nilesh Mewara, president of Rajasthan Liquor Welfare Society, said, "If the government is increasing competition for us by giving more licences, they should also remove the target sale criteria as we cannot ensure 10% more sales in that environment. We have invested Rs 30 lakh for a retail shop licence whereas the restaurants pay only Rs 10 lakh as licence fee. The move will hurt our interests."

In the past, many restaurants and hotel bars were issued penalty notices for not selling 10% more liquor and subsequently, the industry in the state protested.

Jaipur: As the mercury kept dipping in December, liquor consumption by the people of Jaipur increased by 25.3% in last the month of 2019 over the corresponding period in 2018. While in December 2018 the sale of liquor by Rajasthan State Beverages Corporation Limited (RSBCL) was worth Rs 574.59 crore in the whole state, it went up to Rs 705.99 crore in December 2019. In Jaipur, it had gone up from Rs 105.31 crore in December 2018 to Rs 131.93 crore in December 2019.

People in Jaipur woke up to the second coldest morning of December since 1964 as the minimum temperature dipped to 1°C on 30th December, 2019. It is also the time when people bask in the glory of festive season, with Christmas and New Year eve falling in the same month.

"The sale of liquor include Indian-made foreign liquor (IMFL), foreign liquor, beer, wine. The country liquor is not included in it. These are the figures of what RSBCL has sold to the retailers in December last year. The retailers don't keep anything in stock. They dispose of to the consumers whatever quantity of liquor is purchased from RSBCL," said Sukhveer Saini, executive director, RSBCL.

The figure emerges at a time when the state government has formed a committee of senior officials to visit Bihar and study the impact of liquor ban in the state. Sources in the finance department had denied that the move was a prelude to prohibition of liquor in Rajasthan and said the purpose of the 'study tour' was to how better they could regulate the trade. Chief Minister Ashok Gehlot had also clarified that the state was not mulling over any such idea.

Meanwhile, Delhiites gulped down alcohol worth almost Rs 1,000 crore in December, sources said. According to sources, Delhi's excise department earned Rs 465 crore as duty on liquor in December 2019.

30 फीट रोड पर खुले होटल और रेस्टोरेंट भी ले सकेंगे लाइसेंस

गली-गली खुल सकेंगे होटल-रेस्टोरेंट में बार

पत्रिका एक्सक्लूसिव

सुनील सिंह सिसोदिया
patrika.com

जयपुर. शराब बिक्री बढ़ाने को लेकर राज्य सरकार ने नया रास्ता खोज लिया है। अब प्रदेश के शहरों में 30 फीट की गलियों तक में खुले होटल और रेस्टोरेंट में भी शराब परोसी जा सकेगी। लाइसेंस की प्रक्रिया राज्य में संभवतः गुरुवार से शुरू हो जाएगी। वित्त विभाग के निर्देश के बाद आबकारी आयुक्त ने बुधवार को सभी जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए। लाइसेंस के लिए व्यावसायिक श्रेणी के भू-रूपांतरण की बाध्यता को भी खत्म कर दिया गया है।

नियमों में संशोधन की। जनवरी 2020 को अधिसूचना वित्त विभाग ने जारी कर दी। इसके बाद 3 जनवरी को वित्त विभाग के सचिव पृथ्वीराज ने आबकारी आयुक्त को निर्देश दिए। इसमें कहा कि 5 दिसंबर 2019 को सीएम कार्यालय से स्वीकृति के बाद यह आदेश दिए जा रहे हैं। राज्य सरकार के इन आदेशों की पालना में आबकारी आयुक्त विष्णु चरण मलिक ने बुधवार को सभी जिला आबकारी अधिकारियों को वित्त विभाग के निर्देशों की पालना में ही लाइसेंस जारी करने के आदेश जारी कर दिए।

पहले शराबबंदी की समीक्षा को भेजी टीम : हाल ही आबकारी विभाग की ओर से बिहार की शराबबंदी की समीक्षा को लेकर एक टीम भेजी गई थी, लेकिन शराबबंदी को लेकर तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा यह इनको राहत का काम और कर दिया।। बड़ी बात यह है कि लाइसेंस ज्यादा होंगे तो कम्पटीशन बढ़ेगा। ऐसे में होटल शराब पिलाने के बजाय बेचने में से भी नहीं चूकेंगे। ऐसे में यह दुकान की तरह चलेंगे।

अब लाइसेंस के नियम हैं ये

शराब बिक्री को बढ़ावा देने के लिए वित्त विभाग ने राजस्थान आबकारी होटल बार लाइसेंस नियम 1973 एवं राजस्थान आबकारी रेस्टोरेंट बार लाइसेंस नियम 2004 के नियमों में 3सी और 3ए के रूप में नए नियम जोड़कर प्रावधान किया है। नियमों में संशोधन को लेकर 1 जनवरी 2020 को अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है। लाइसेंस स्थाई न होकर अस्थायी होंगे, लेकिन सालभर की फीस लेकर 6-6 माह के लिए दिए जाएंगे। लाइसेंस के लिए पहले 75 फीसदी फीस लेकर 6 माह के लिए जारी कर दिया जाएगा। इस अवधि के खत्म होने के 15 दिन पहले ही शेष 25 फीसदी राशि लेकर 6 माह के लिए और लाइसेंस का नवीनिकरण कर दिया जाएगा। सालभर की फीस की 75 फीसदी राशि पहले ही ले जाएगी। पुनः नवीनिकरण के वक्त शेष 25 फीसदी राशि ली जाएगी। इन होटल व रेस्टोरेंट में शराब बिक्री को बढ़ावा देने के लिए यहां मदिरा सेवन के लिए ओकेजनल परमिट जारी करने पर भी रोक लगा दी गई है।

ये होंगी शर्त

- निकाय के अग्निशमन अधिकारी की फायर एनओसी
- स्थानीय निकाय में व्यवसाय के लिए पंजीकृत होना चाहिए
- भूमि का मालिकाना हक अथवा किरायानामा या लीज प्रमाण पत्र हो
- होटल व रेस्टोरेंट बार को 6 माह के लिए लाइसेंस निर्धारित शुल्क का 75 फीसदी तथा शेष अवधि या 6 माह के लिए जो भी कम हो के लिए 25 प्रतिशत शुल्क देकर दिया जा सकेगा

5 गुना तक होगी लाइसेंस में वृद्धि

राज्य में वर्तमान में करीब 900 होटल और बार लाइसेंस हैं। अकेले राजधानी जयपुर में हीं अभी रेस्टोरेंट और होटल बार लाइसेंस करीब 400 हैं। होटल के लिए फीस 9 लाख और रेस्टोरेंट के लिए फीस 10 लाख है। आबकारी विभाग के अधिकारियों की मानें तो सरकार की ओर से मिली राहत से राज्य में 5 गुना तक होटल-रेस्टोरेंट बार लाइसेंस की सख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी। खास बात यह है कि रेस्टोरेंट में रात 11 बजे तक बीयर परोसी जा सकती है और होटल में कोई समय सीमा नहीं है। 20 कमरे तक के सभी होटल लाइसेंस ले सकते हैं। वहीं 125 गज जमीन में बने रेस्टोरेंट में यदि 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है तो वह भी लाइसेंस ले सकेगा।

दूसरा फैसला;आबकारी विभाग बिना कन्वर्जन/नक़्शे पास कराये चल रहे किसी भी रेस्टोरेंट/होटल को बार लाईसेंस जारी कर सकेगा|

नए साल में सरकार ने अवैध निर्माणों/बिना अनुमति आवासीय भूखंडों पर चल रहे रेस्टोरेंट्स/होटलों पर रहमत बरसाते हुए उन्हें भी बार का लाईसेंस देने की गली निकाली है|सरकार ने राजस्थान आबकारी नियम(होटल/क्लब बार अनुज्ञा) 1973 और राजस्थान आबकारी नियम(रेस्टोरेंट/बार अनुज्ञा) 2004 में संशोधन करते हुए नए नियम जोड़े है कि जो भी रेस्टोरेंट/होटल धारक निर्धारित लायिसेसं फीस का 75% जमा करवाता है तो उसे 6 माह अथवा वित्तीय वर्ष के ख़त्म होने की अवधि जो भी लागू हो,को बार हेतु लाईसेंस जारी कर दिया जायेगा,यदि नियत समय में उसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों(भू-उपयोग परिवर्तन/नक़्शे पास करवाना आदि जिनके कारण पहले लाईसेंस नहीं दिए जाते थे) की पूर्ति कर दी जाती है तो लाईसेंसी को बाकी समय के लिए भी लाईसेंस जारी कर दिया जाएगा|

शराब की दूकान चलाने वाले कर रहे विरोध;ओवर रेट,अवैध/नकली शराब,रात आठ बजे बाद शराब की बिक्री के मामलों में होगी बढोतरी

शराब की रिटेल दुकाने चलाने वाले लायिसेंसियों ने सरकार के इस फैसले पर

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE (EXCISE) DEPARTMENT

No.: F 3(4)FD/Ex/2015- Part-I Jaipur, Dated: 1st January, 2020

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 41 of the Rajasthan Excise Act, 1950 (Act No. II of 1950), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Excise (Grant of Hotel Bar/Club Bar Licences) Rules, 1973 and orders with reference to proviso to sub-section (3) of the said section that previous publication of these amendment rules is dispensed with as the State Government considers that they should brought into force at once, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Excise (Grant of Hotel Bar/Club Bar Licences) (Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force at once.

2. Insertion of new rule 3-C.– After the existing rule 3-B and before the existing rule 4 of the Rajasthan Excise (Grant of Hotel Bar/Club Bar Licences) Rules, 1973, the following new rule 3-C shall be inserted, namely:-

"**3-C. Licence for short period.**- Notwithstanding anything contained in these rules Hotel Bar licence may also be granted by the licensing authority to any hotel established prior to the commencement of the Rajasthan Excise (Grant of Hotel Bar/Club Bar Licences) (Amendment) Rules, 2020, for a period of six months or upto the end of the financial year whichever is earlier on payment of 75% of initial fee prescribed in rule 3 of these rules. The licence under this rule shall be granted in the form and on the conditions as may be determined by the State Government. The licence granted under this rule may be extended for remaining period of financial year or upto the end of financial year whichever is earlier on payment of 25% of initial fee prescribed in rule 3 of these rules."

18/2019-20

By Order of the Governor,
(Onkar Mal Rajotiya)
Joint Secretary to the Government

Copy forwarded to the following for information & necessary action:

1. Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
2. Commissioner, Excise Department, Rajasthan, Udaipur.
3. PS to Additional Chief Secretary, Finance Department.
4. PS to Secretary, Finance (Revenue) Department.
5. Technical Director, Computer Cell, Finance Department, Secretariat, Jaipur.
6. Guard file.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE (EXCISE) DEPARTMENT

No.: F 3(4)FD/Ex/2015- Part-I Jaipur, Dated: 1st January, 2020

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 41 of the Rajasthan Excise Act, 1950 (Act No. II of 1950), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Excise (Grant of Restaurant Bar Licences) Rules, 2004 and orders with reference to proviso to sub-section (3) of the said section that previous publication of these amendment rules is dispensed with as the State Government considers that they should brought into force at once, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Excise (Grant of Restaurant Bar Licences) (Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force at once.

2. Insertion of new rule 3-A.– After the existing rule 3 and before the existing rule 4 of the Rajasthan Excise (Grant of Restaurant Bar Licences) Rules, 2004, the following new rule 3-A shall be inserted, namely:-

"**3-A.Licence for short period.**- Notwithstanding anything contained in these rules Restaurant Bar licence may also be granted by the licensing authority to any restaurant established prior to the commencement of the Rajasthan Excise (Grant of Restaurant Bar Licences) (Amendment) Rules, 2020, for a period of six months or upto the end of the financial year whichever is earlier on payment of 75% of initial fee prescribed in rule 3 of these rules. The licence under this rule shall be granted in the form and on the conditions as may be determined by the State Government. The licence granted under this rule may be extended for remaining period of financial year or upto the end of financial year whichever is earlier on payment of 25% of initial fee prescribed in rule 3 of these rules."

19/2019-20

By Order of the Governor,
(Onkar Mal Rajotiya)
Joint Secretary to the Government

Copy forwarded to the following for information & necessary action:

1. Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
2. Commissioner, Excise Department, Rajasthan, Udaipur.
3. PS to Additional Chief Secretary, Finance Department.
4. PS to Secretary, Finance (Revenue) Department.
5. Technical Director, Computer Cell, Finance Department, Secretariat, Jaipur.
6. Guard file.

Joint Secretary to the Government

वित्त विभाग राजस्थान द्वारा नियमों में किये गए संशोधन

रोष जताया है,उनका कहना है कि उन्हें शराब की दूकान चलाने के लिए 30 लाख रूपये सालाना सरकार को देने पड़ते है वही रेस्टोरेंट/होटल में बार के लिए 10 लाख रूपये ही देने पड़ते है|सरकार के इस निर्णय से गली मोहल्लों में चल रहे होटल/रेस्टोरेंट्स को भी महज 7.5 लाख रूपये जमा करवाने से 6 माह के लिए बार लाईसेंस मिल जायेगा और बाकी का समय कोर्ट से स्टे लेकर या अन्य कानूनी उपचार का सहारा लेकर निकाला जा सकेगा|ऐसे में यह रेस्टोरेंट ग्राहकों को बैठा कर पिला भी सकेंगे और सरकार के 8 बजे के नियमों को धत्ता बताते हुए देर रात तक अवैध रूप से मन-माफिक रेट/ओवररेट पर शराब भी बेच सकेंगे|चूँकि इन होटलों की स्थानीय पुलिस को मासिक बंधी जाती है ऐसे में पुलिस इन पर कार्यवाही नही करेगी और प्रदेश में अवैध शराब/बाहर की शराब/मिलावटी शराब का धंधा भी खूब फलेगा-फूलेगा|

इन फैसलों के बाद कौन अपने अवैध निर्माणों में बने रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स और होटलों को नियमित करवाएगा?

सरकार के नए नियमों से जहाँ एक और गली मोहल्ले खुलने वाले इन अवैध रेस्टोरेंट्स/होटलों के जरिये अवैध रूप से देर रात तक शराब की खपत बढ़ेगी वहीं दूसरी और शहर में अवैध निर्माणों की भी बाढ़ आ जाएगी|क्यूंकि एक तो बिना अनुमति आवासीय भूखंडों/अवैध निर्माणों में चल रहे रेस्टोरेंट्स/होटलों को फायर NOC मिल जायेगी वहीं आबकारी नियमों में बदलाव के चलते बिना अनुमति आवासीय भूखंडों/अवैध निर्माणों में चल रहे रेस्टोरेंट्स/होटलों को 6 महीने के लिए महज लाईसेंस फीस का 75% जमा करवाने से बार संचालन का सरकारी लाईसेंस भी मिल जाएगा|सवाल यह उठता है कि सरकार के इन फैसलों से कौन नासमझ व्यापारी होगा जो फायर NOC और अन्य कागजी कार्यवाही करने में अपना पैसा और वक्त जाया करेगा?